HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9348/2026
CNR: RJHC020567472026 | URN: CRLMB / 17176U / 2026

Mizaj S/o Sahab Khan, Aged About 32 Years, R/o Ward No. 12 Alghana, Ps Govindgarh, District Alwar (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail, Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Aslam Khan, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

03/08/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना**–वैशाली नगर, अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या**–148/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 318(2), 61(2)(b) भारतीय न्याय संहिता तथा 66D आई.टी. एक्ट में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वह दिनांक 03.06.2026 से अभिरक्षा में है, कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र पेश हो चुका है, इसलिए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि उसके खाते में साईबर फ्रॉड की 1,64,500/– रूपये की राशि जमा हुई है। अभियुक्त का कोई पूर्ववर्ती आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है, वह दिनांक 03.06.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप पत्र भी पेश हो चुका है, विचारण में समय लगने की संभावना है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **मिजाज पुत्र साहब खां** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

79/Mittal